[Shri George Fernandes]

the attention of the House to one more instance of the way the National Security Act is used to harass and brow-beat trade union workers.

Mr S. C. Datta, driver and Mr. Newton Eliza, shunter are active trade union workers among the loco running staff at Ajni near Nagpur. Apparently, orders for their detention under the National Security Act were issued on January 28, 1981 along with similar detention orders for other workers. This was at the time of the loco running staff strike. However, for reasons best known to the police, they were not arrested.

The strike of the loco running staff was called off towards the end of February 1981. Both Mr. Datta and Mr. Eliza were allowed to resume duty on 6th and 7th of June 1981 respectively. They were kept attached to the office, and not posted on running duty.

Now, two and a half months after they resumed duty, Mr. Datta has been detained on 26th August and Mr. Eliza on 28th August, under the National Security Act.

The action of whosoever it is that ordered their arrest is patently *mala fide* and needs to be condemned in the strongest possible language.

I urge that the Home Minister take steps to order the immediate release of these two railwaymen.

(iv) NEED FOR DEVELOPMENT OF IRRIGATION SYSTEM IN CHHATISGARH AREA OF MADHYA PRADESH.

श्री कैलाश भूषण (रायपुर) : मान्यवर मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है जहां पर आदिवासियों एवं हरिजनों की संख्या अधिक है आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। विगत कुछ वर्षों से उस क्षेत्र में अकाल पड़ रहा है। उस क्षेत्र के ग्रामीण खेतिहर मजदूर मजदूरी की तलाश में छत्तीसगढ़ छोड़ कर पलायन कर जाते हैं। उन्हें दूरस्थ स्थानों में बहुत कठिन स्थिति में जीवन बिताना पड़ रहा है। मजबूरी का फायदा उठा कर मजदूर भरती करने वाले दलाल पैदा हो गए हैं। वे उन्हें उचित मजदूरी की लालच बता सपरिवार ले जाते हैं तथा ठेकेदारों के पास बंधक मजदूर के रूप में बंधक रख देते हैं। उन्हें जीवन यापन के लिए उन प्रदेशों में ठेकेदारों के यहां आजीवन बंधक रहना पड़ता है। उन्हें वहां नाम-मात्र की मजदूरी मिलती है। घर वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें डरा धमका कर रखा जाता है तथा उनके मजदूरी के पैसे उन्हें दिए नहीं जाते। उनके जीवन रक्षा का प्रबन्ध वहां की सरकार किसी प्रकार की नहीं कर रही है। न ही उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था कर रही है और न ही उन्हें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अन्तर्गत वापस लाने तथा उनकी जीवकोपार्जन की व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पुनः अकाल की स्थिति है। अतः उस क्षेत्र के खेतिहर मजदूर पलायन करना प्रारम्भ कर दिए हैं। इसलिए शासन का ध्यान छत्तीसगढ़ की अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उस क्षेत्र के प्रस्तावित योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करें तथा वहां उचित मजदूरी की व्यवस्था करे तथा छत्तीसगढ़ के मजदूर जो देश के विभिन्न हिस्सों में बंधक मजदूर बन कर जी रहे हैं विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उन्हें शीघ्र मुक्त करावें।

(v) NEED FOR PAYMENT OF PENSIONS TO EX-SERVICEMEN AND FREEDOM FIGHTERS BY MONEY ORDERS.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान भूतपूर्व सैनिकों

एवं स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन भुगतान के संबन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन् भारत माता को गुलामी की जंजीरों से छुडाने एवं उसकी सेवा करने के बाद जो भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता सेनानी अपने घरों पर निवास कर रहे हैं और अपनी सेवाओं के बदले में भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए माह के अन्त तक निगाह लगाये हुए बैठे रहते हैं चाहे वे गोली खाकर अपंग हों गये हों या बूढ़े हो गए हों चाहे वे कर्नल मेजर कैप्टन सूबेदार, हवलदार या साधारण सैनिकों के पद पर कार्य करके सेवा निवृत हो गए हों माह के अन्त में वह काफी दूरी तयकर के कचहरी में जाते हैं और वे दिन, रात भर बैठे रहते हैं और दूसरे दिन तक भी वे कचहरी में बैठे रह जाते हैं। अंत में दो, तीन दिन के बाद वे भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी काफी अनादर एवं असम्मान के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर पाते हैं। जब कि वे इस कठिन समय में 20-30 रुपये खर्च कर देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देश के प्रत्येक भागों में लागू है। विशेषकर उत्तराखंड मे गढ़वाल मंडल के रहने वाले भुतपूर्व सैनिक जो देशया मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा कर अपने जीवन निर्वाह हेतु पेंशन की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और उक्त कठिनाइयों के बाद वे अपनी पेंशन प्राप्त कर पाते हैं।

अतः आपके माध्यम से केन्द्रीय और राज्य सरकारों से जोरदार निवेदन है कि उक्त परेशानी को दूर करने के लिए मनीआर्डर द्वारा कमीशन काट कर उनकी पेंशन उनके घर पर भेजी जाये ताकि ससम्मान वे अपनी पेंशन प्राप्त कर सकें।

(vi) Need for resumption of mining operations in all the coal Mines in Hazaribagh.

SHRI N.E. HORO (Khunti) : Over 50,000 coalminers in South-Karanpura in the district of Hazaribagh (Bihar) were thrown out of jobs in the wake of nationalisation of coal industry when the Central Coalfied Ltd., closed nearly 30 small and medium coal mines. The local people including the displaced coalminers have been constantly demanding opening of these closed coalmines in order to earn their daily bread.

The management of the Central Coalfield Ltd. have so for refused to open the mines for reasons not known. These would have led to illegal mining which goes on unabated resulting in the loss of the national exchequer.

The demand of the people for opening the closed mines is but genuine since they want an honourable employment anddo not want to join he gangs of illegal miners.

In this connection, the demand to start the Balrampur Colliery in Village Urimari by open-cast mining is pending with the Ministry of Energy. People want open-cast mining and not mechanisation mining since that would debar them for getting gainful employment. It is at this place, on this question that firing took place last February where a dozen of persons were killed.

I draw the attention of the Government of India to take necessary steps to open all closed mines including Balrampur (Urionari) Colliery and give employmentto the local people.

(vii) ALLEGED ATROCITIES BY POLICE IN UTTAR PRADESH BIHAR AND MADHYA PRADESH ON PERSONS BELONGING TO BACKWARD CLASSES MINORITIES ETC.

श्री जयपाल सिह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश, बिहार, व मध्य प्रदेश में पुलिस ने 2,3 वर्षो से झूठी व फर्जी मुठभेडें दिखाकर हजारों लोगों की हत्या कर दी। इन में से अधिकांश कमजोर वर्ग हरिजन, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक किसान मजदूर वर्ग के